

## आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ4 (6)आकाशि/नि.सं./1995/100

दिनांक:- 7-2-19

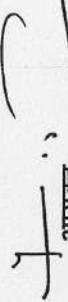
## आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत सत्र 2019-20 से स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर पर पूर्वसंचालित व नवीन संकाय व विषय में स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:-

| संचालक संस्था                                                                       | महाविद्यालय का नाम                                            | सम्बद्ध विश्वविद्यालय          | संकाय व विषय                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| श्री स्वरूप गोविन्द पारीक विद्यालय मैनेजिंग कमेटी, कातिचन्द्र रोड, बनीपार्क, जयपुर। | एस.एस.जी. पारीक पी.जी. कॉलेज, कातिचन्द्र रोड, बनीपार्क, जयपुर | राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर। | स्नातक स्तर पर पूर्वसंचालित विषय-<br>कला संकाय- संगीत।<br>स्नातकोत्तर स्तर पर<br>कला संकाय- अर्थशास्त्र।<br>विज्ञान संकाय- भौतिक शास्त्र, रसायनशास्त्र, गणित।<br>स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन विषय-<br>पी.जी. डिप्लोमा - Cost & works<br>Accountancy, Taxation. |

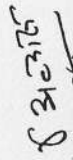
1. संस्था प्रत्येक सत्र में निर्धारित अवधि में निम्नानुसार मू. कॉर्षिक शुल्क आवेदन करेगी।
2. आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी।
3. संस्था को समय-समय पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
4. संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी0सी0आई0 से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।
5. संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।
6. संस्था द्वारा सावधि जमा राशि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण करवा जाना अनिवार्य होगा।
7. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-साथ अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
8. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
9. संस्था संकाय व विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
10. राज्य सरकार की निजी महाविद्यालय नीति 2019-20 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
11. संस्था प्रति वर्ष विभाग की वेबसाइट [www.hte.raajasthan.gov.in](http://www.hte.raajasthan.gov.in) से सांख्यिकी पुस्तिका एवं महाविद्यालय विवरणिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनाएं भरकर आयुक्तालय को भेजेगी।
12. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल [www.aishe.nic.in](http://www.aishe.nic.in) पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF- II (Data Capture format) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय इसकी हार्ड कॉपी आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करेगा।

उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को प्रत्याहर्षित कर लिया जायेगा।

  
आयुक्त  
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशिष्ट सहायक, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलेक्टर, जयपुर।
4. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय।
6. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली

  
संयुक्त-निदेशक (नि0सं0)  
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर